



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277212
CG-DL-E-16102026-277212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5449]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5449]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5665(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है;

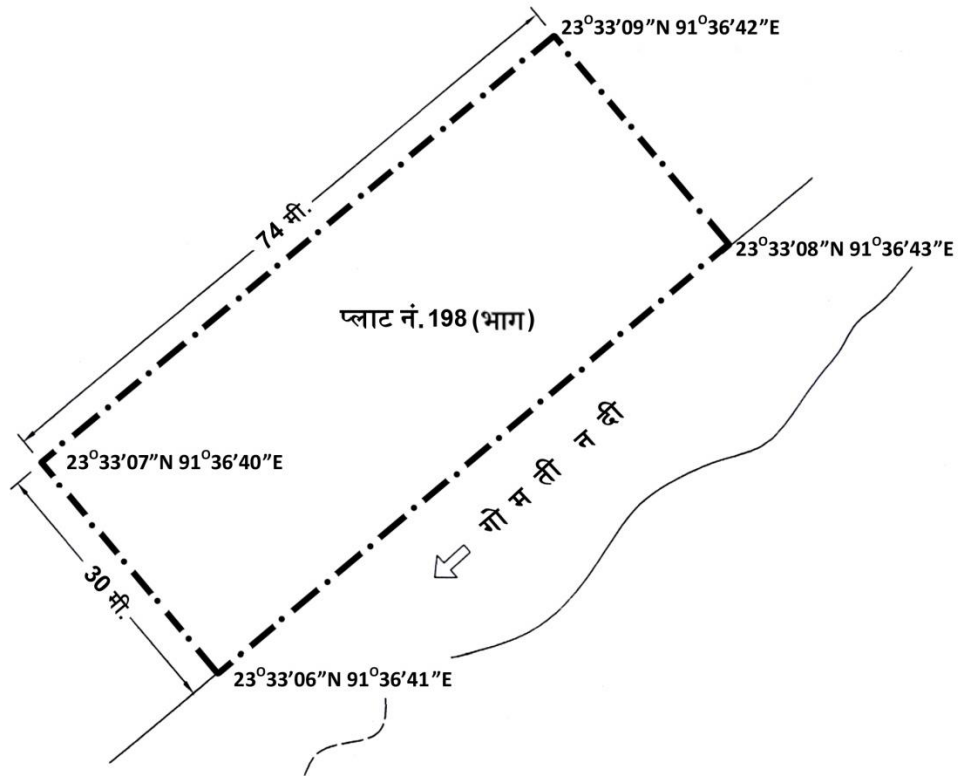
अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय का एतद्वारा नोटिस देती है;

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो, उसे इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर, उक्त प्राचीन स्मारक में रूचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001 को प्रेषित किया जा सकता है (dg.asi@gov.in);

उक्त अधिसूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी व्यक्ति से यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

पंच देवता पटल स्थान -1, छबीमुरा-देवतामुरा,
ज़िला गोमती, त्रिपुरा का स्थल मानचित्र

0 20 40
मीटर



स्मारक की सीमा - - - - -

अनुसूची

क्रसं..	राज्य	जिला	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल किये गए राजस्व भूखण्ड संख्या		क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्वामित्व	सीमाएं
					खाता सं.	प्लॉट सं.			
1.	त्रिपुरा	गोमती	छवीमुरा – देवतामुरा, स्थान- 1	पंच देवता पटल	3/15	198 (भाग)	0.5 56 एकड़	त्रिपुरा सरकार	उत्तर: प्लॉट संख्या का भाग 198 दक्षिण: प्लॉट संख्या का भाग 198 पूर्व: प्लॉट संख्या का भाग 198 पश्चिम: प्लॉट संख्या का भाग 198
कुल क्षेत्र							0.556 एकड़		

[फा. सं. टी-19012/8/2026-स्मा.]

यदुबीर सिंह रावत, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

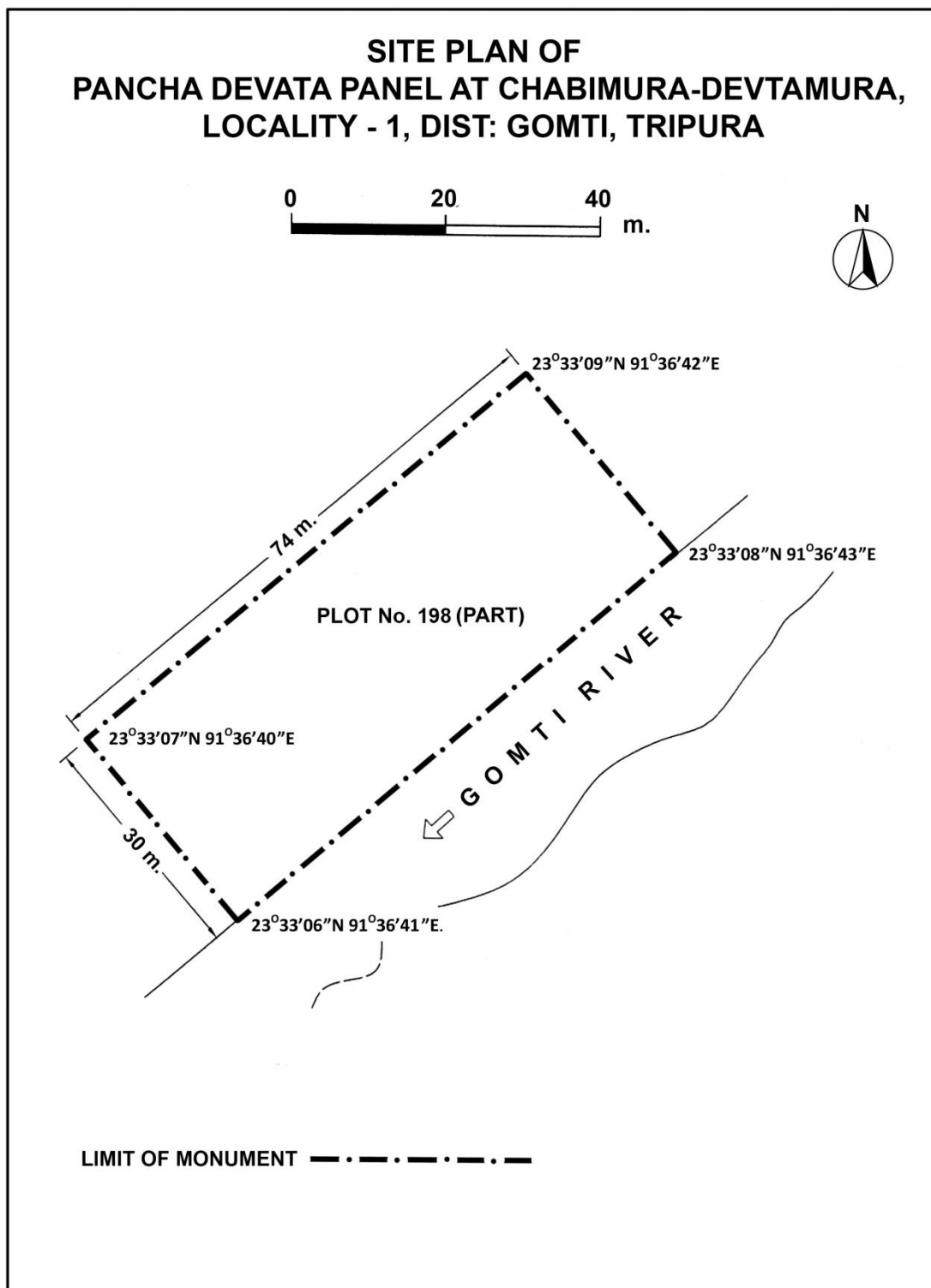
New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5665(E).— Whereas, the Central Government is of the opinion that the ancient monument, as specified in the site plan and schedule annexed hereto, is a monument of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection, to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any interested person in the said ancient monument; to the Director General, Archaeological Survey of India, 24 Tilak Marg, New Delhi-110001 (dg.asi@gov.in);

The objections, if any, received from any person with respect to this notification within the period so specified shall be taken into consideration by the Central Government.



SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Locality	Name of Monument	Revenue Survey number included under protection		Area (in Acre)	Ownership	Boundaries
					Khata No.	Plot No.			
1.	Tripura	Gomati	Chabimura – Devtamura, Locality-1	Pancha Devata Panel	3/15	198 (Part)	0.556 Acre	Government of Tripura	North: Part of Plot No. 198 South: Part of Plot No. 198 East: Part of Plot No. 198 West: Part of Plot No. 198
Total Area							0.556 Acre		

[F. No. T-19012/8/2026-M]

YADUBIR SINGH RAWAT, Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5666(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है;

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय का एतद्वारा नोटिस देती है;

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो, उसे इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर, उक्त प्राचीन स्मारक में रूचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001 को प्रेषित किया जा सकता है (dg.asi@gov.in);

उक्त अधिसूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी व्यक्ति से यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

महिषा मर्दिनी की शैलकृत प्रतिमा स्थान -2,
छबीमुरा-देवतामुरा, ज़िला गोमती, त्रिपुरा का स्थल मानचित्र

0 10 20 30 मीटर



स्मारक की सीमा -.-.-.-.-

अनुसूची

क्र.सं.	राज्य	जिला	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल किये गए राजस्व भूखण्ड संख्या		क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्वामित्व	सीमाएं
					खाता सं.	प्लॉट सं.			
1.	त्रिपुरा	गोमती	छबीमुरा – देवतामुरा, स्थान- 2	महिषा मर्दिनी की शैलकृत प्रतिमा	3/15	204 (भाग)	0.012 एकड़	त्रिपुरा सरकार	उत्तर: प्लॉट संख्या 204 का भाग दक्षिण: प्लॉट संख्या 204 का भाग पूर्व: प्लॉट संख्या 204 का भाग पश्चिम: प्लॉट संख्या 204 का भाग
कुल क्षेत्र							0.012 एकड़		

[फा. सं. टी-19012/08/2026-स्मा.]

यदुबीर सिंह रावत, महानिदेशक

NOTIFICATION

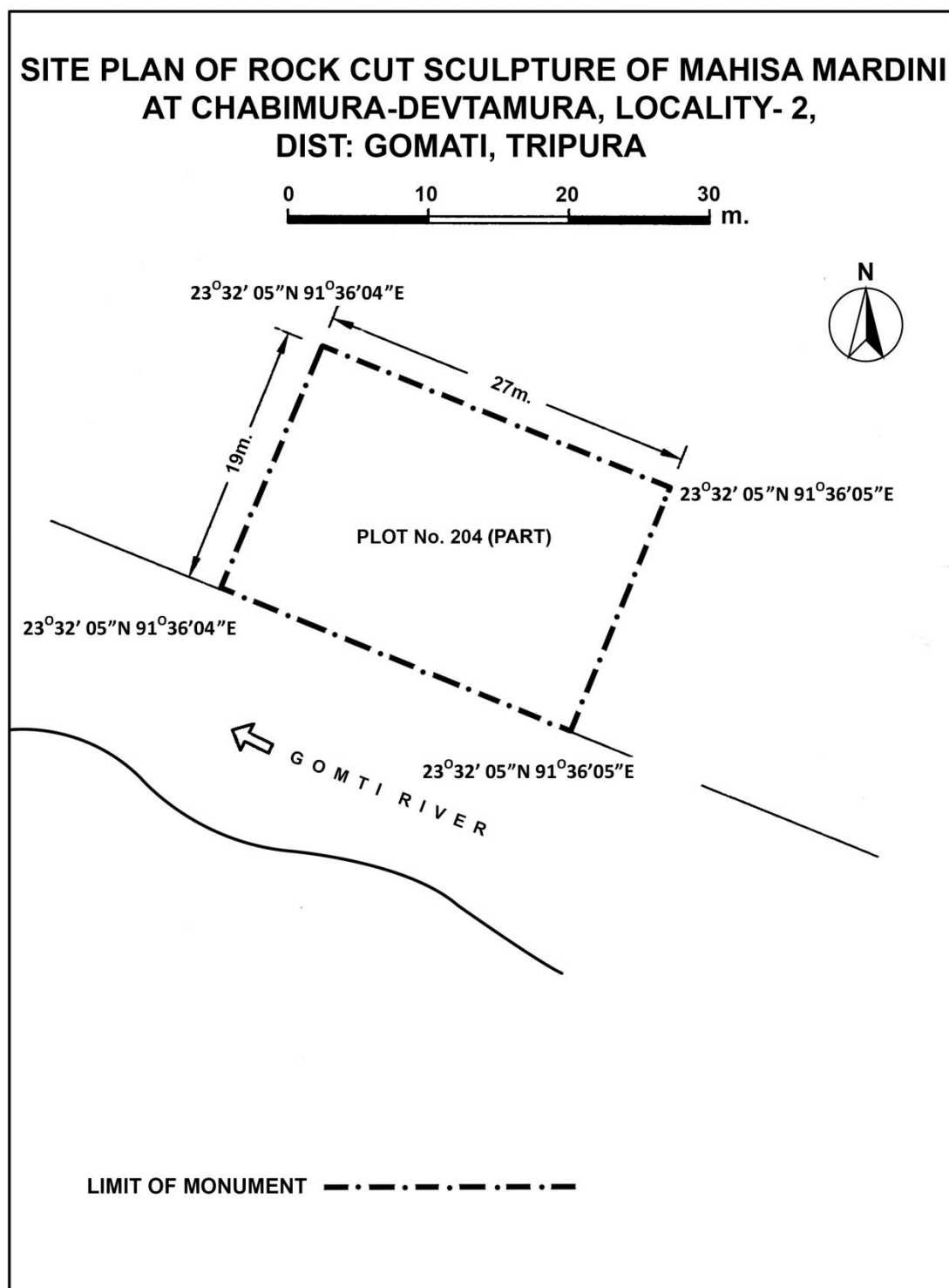
New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5666(E).— Whereas, the Central Government is of the opinion that the ancient monument, as specified in the site plan and schedule annexed hereto, is a monument of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection, to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any interested person in the said ancient monument; to the Director General, Archaeological Survey of India, 24 Tilak Marg, New Delhi-110001 (dg.asi@gov.in);

The objections, if any, received from any person with respect to this notification within the period so specified shall be taken into consideration by the Central Government.



SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Locality	Name of Monument	Revenue Survey number included under protection		Area (in Acre)	Ownership	Boundaries
					Khata No.	Plot No.			
1.	Tripura	Gomati	Chabimura – Devtamura, Locality-2	Rock Cut Sculpture of Mahisha Mardinai	3/15	204 (Part)	0.012 Acre	Government of Tripura	North: Part of Plot No. 204 South: Part of Plot No. 204 East: Part of Plot No. 204 West: Part of Plot No. 204
Total Area							0.012 Acre		

[F. No. T-19012/8/2026-M]
YADUBIR SINGH RAWAT, Director General